

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मु० नं० ०३/१८ तारीख २ नू ५-३-१८

उजवान - रामरतन बनाम मुलाहरी कौ०
- माचडी

प्रायज्ञापत्र आदिश १ नियम १ एवं सपठित
धारा १५८८

प्रायज्ञापत्र की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट ने प्रायज्ञापत्र आदिश १ नियम १ एवं सपठित धारा १५८८ पेश किया। प्रायज्ञापत्र का सब लोकाज किया गया। प्रायज्ञापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक २४.३.१८ को पेश हो।

२१०-१६
३-३-१८


जर्जदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

२४.३.१८

पत्रावली पेश हुई काट की ओर से कार्य स्वगत रखा गया वी आई नं० दि २७.५.१८ को पेश हो।

२७.५.१८

जर्जदीश आर्य
पत्रावली राज्य लोक अदालत शिविर, मु० नं० ५७ में दिनांक २६.६.१८ को पेश हो।

१५.६.१८

पत्रावली राज्य लोक अदालत शिविर, मु० नं० ५७ में पेश हुई। आई नं० दिनांक १६.७.१८ को पेश हो।

७-१८

बकुलाय उपस्थित पीठासन अधिकारी कसूर पन्थी है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक ६-८-१८ को पेश हो।

१८

बकुलाय उपस्थित पीठासन अधिकारी कसूर पन्थी है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक १४-९-१८ को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
14-12-19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र 06/12/19 CPC पेश किया जिस पर प्रार्थी वकील की बरस युक्त यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर देबल संशोधन के जरिये पप्पू उग्र हीरा सिंह के आगे उर्फ हरिसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। इनका नोटिस काप मुकाममान तलखत पेश किया तलखत जारी कर। दिनांक 13-12-19 को पेश हो।</p>
13-12-19	<p>प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 3 पप्पू उग्र हीरा सिंह का पत्र सूचना उप० नहीं है। P.O. का चुनाव काप लि करी पधारें है। आदेश दिनांक 10-1-20 को पेश हो।</p>
10-1-20	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/पीअरन अधिकारी करी पीअरन में पधारें है। अतः पेशवाला पेशाबुसार दिनांक 24-1-20 को पेश हो।</p>
24-1-20	<p>प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 3 के उपस्थित नहीं होने से उनके बिल एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी मनोहरी भी फौज ले चुका है। प्रकरण में संशोधित टाईटल पेश नहीं हुआ है। इतः संशोधन टाईटल पेश करने दिनांक 31-1-20 को पेश हो।</p>
31-1-20	<p>प्रार्थी वकील उप०। संशोधित टाईटल पेश करने दिनांक 5-2-20 को पेश हो।</p>
5-2-20	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 संपठित धारा 15। जाहा दीवानी पेश किया। बरस युक्त स्वीकार किया जाता है। संशोधित टाईटल पेश करने पर शामिल किया। मूल प्रार्थना पत्र में वर्जित तर्कों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 जाहा दीवानी स्वीकार कर मूल दावा पुनः सुनवाई हेतु</p>

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

दर्ज कले का कपन किया। जर्धी वकील की बरस सुनी गई।
कहस प्त मन किया। न्यायस्थित में प्रार्थना फल आदेश १
नियम १ स्वीकार किया जाता है। मूल दावा वास्तो सुनवाई
पुनः दर्ज किया जावे। पत्रावली कैसल शुमार होकर
नम्बरे क्रम होकर मूल दावा के साथ संलग्न रहे।

७

